न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 66/2017 **दायरा दिनांक : 26.04.2014**

उनवान

जीवनलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल, आयु 73 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम समरानिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सहायक अभियन्ता जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शाहबाद, जिला बारां

2– कनिष्ठ अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रूप चन्द सिंगावत अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 28/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्कारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खुशियारा, तहसील शाहबाद में आराजी खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 642/1059 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जो वादी के खाते एवं कब्जे काश्त में है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से लगवा दक्षिण की ओर स्थित है । प्रतिवादीगण विद्युत पोल और जे सी बी मशीन लेकर वादी की जमीन पर आये और विद्युत पोल गाडने लगे, उनका यह कृत्य मनमाना है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के खाते की आराजी में किसी प्रकार की विद्युत लाईन न डाले । अवैध रूप से गाडे गये विद्युत पोल हटा ले और 10,000/– रूपये की क्षति पूर्ति राशि दे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है और यह निर्देश दिये हैं कि यदि वादी की फसल का नुकसान हुआ है तो प्रतिवादी उसका नियमानुसार मुआवजा वादी को दे । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अवैधानिक रूप से विद्युंत पोल गाडे हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । पोल लगाने के अभिवचन और साक्ष्य की विवेचना नहीं की है । साक्ष्य के अभाव में जनहित माना गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.04.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते की है उसमें कब्जा करने का कोई अधिकार प्रतिवादी रेस्पोडेंट को नहीं है । अपीलांट ने कोई इजाजत नहीं ली है । रेस्पोडेंट का यह कृत्य अवैध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राज्य सरकार की अनुमति से जनहित में विद्युत पोल लगाये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबंदी एक्जीविट 1 वादी के खाते में दर्ज है । खसरा गिरदावरी की नकल एक्जीविट 2 है । पत्रावली पर प्रतिवादीगण का जवाबदावा भी सलंग्न है जिसमें यह अंकित है कि 132 के वी जी एस एस से रातई खुर्द 33/11 के वी जी एस एस के लिए विद्युत लाईन अप्रैल 2014 में पूर्ण हो चुकी है जो जनहित में बिना किसी बाधा के खडी की गई है । कृषि भूमि की मालिक सरकार होती है और सरकार के निर्देश पर ही यह लाईन

खडी की गई है । दिनांक 21.05.2014 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि विद्युत लाईन का कार्य अप्रैल 2014 में ही पूर्ण हो चुका है । पत्रावली में बयान वादी जीवन लाल पी डब्ल्यू 1 और सहायक अभियन्ता जे वी वी एन एल आर पी प्रसाद डी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं ।

जैसा कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट के जवाबदावे से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर विद्युत लाईन जनहित में सरकार की अनुमति से डाली गयी है और विद्युत लाईन डालने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है । ऐसी स्थिति में अब प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । विद्युत लाईन बिछाने का कार्य जनहित में किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा